**Press Note** 

The Andaman & Nicobar Administration has assigned the task of preparing the Integrated Island

Management Plans (IIMPs) for Chowra, Curlew, East, Nancowry, Narcondom, North Passage,

Pilowmillow, Stewart, Strait, Tillangchong Island to the National Centre for Sustainable Coastal

Management (NCSCM), Chennai, in accordance with the Island Coastal Regulation Zone (ICRZ)

Notification, 2019.

NCSCM has submitted the draft IIMP Reports and IIMP Maps, Coastal Land Use Maps, and

Geomorphology Maps of Chowra, Curlew, East, Nancowry, Narcondom, North Passage, Pilowmillow,

Stewart, Strait, Tillangchong Island for further process as per the provisions of ICRZ Notification, 2019.

These maps are now available on the websites of the A&N Administration (https://andaman.gov.in/)

and the Department of Environment & Forest, A&N Administration (http://forest.and.nic.in/).

Soft copies of drat IIMPs are made available in various offices, including the Chairman's Office,

ANCZMA (Chief Secretary, A&N Administration), Member Secretary's Office, ANCZMA [APCCF

(CRZ&FC)], Van Sadan, Haddo, Deputy Commissioner (North & Middle Andaman), Deputy

Commissioner (Nicobar), Assistant Commissioner (Campbell Bay), Assistant Commissioner (Diglipur),

Assistant Commissioner (Rangat), Assistant Commissioner (Mayabunder), Assistant Commissioner

(Nancowry), Divisional Forest Officer (Mayabunder), Divisional Forest Officer (WL-MB), Divisional

Forest Officer (Middle Andaman), Divisional Forest Officer (Nicobar Division), Member Secretary

(Pollution Control Committee), Director (Tribal Welfare), Director (Tourism), Tribal Council (Campbell

Bay, Kamorta, Teressa, Chowra) for public review and submission of claims, objections, and

suggestions.

In this regard, concerned stakeholders are requested to submit their comments, suggestions, and

details of existing or proposed projects, along with master plans for present and future development

within a 10-year timeframe, if any, in geo-referenced shapefiles (ArcGIS/Shape File/KML Format)

within 30 days from the date of this press release to the office of APCCF (CRZ&FC), Van Sadan, Haddo,

Sri Vijaya Puram, or via email at apccf-crzfc.an@and.nic.in or apccf.crzfc@gmail.com.

When submitting suggestions and comments, the stakeholders may please refer to the provisions of

the ICRZ Notification, 2019, available on the websites mentioned above.

er Secretary, A&N CZMA

Van Saɗan, Sri Vijaya Puram

F.No:APCCF/EPA/357/East Island/Vol-I/ 604

Dated: 30 Oct, 2024

## प्रेस नोट

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन ने द्वीप तटीय विनियम क्षेत्र (ICRZ) अधिसूचना, 2019 के अनुसार, चौवरा, कर्लू , ईस्ट, ननकौरी, नार्कोन्डम, नार्थ पैसेज, पिलोमिलो, स्टीवर्ट, स्ट्रेट, थिलांगचोंग द्वीप के लिए एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना (आईआईएमपी) तैयार करने का काम राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम), चेन्नई को सौंपा है।

एनसीएससीएम ने चौरा, कर्लू , ईस्ट, ननकौरी, नार्कोन्डम, नार्थ पैसेज, पिलोमिलो, स्टीवर्ट, स्ट्रेट, थिलांगचोंग द्वीप के लिए आईआईएमपी रिर्पोट व मानचित्र, तटीय भूमि उपयोग मानचित्र और एनएससीबी द्वीप के भू—आकृति विज्ञान मानचित्र द्वीप तटीय विनियम क्षेत्र (ICRZ) अधिसूचना, 2019 के अनुसार आगे की प्रकिया के लिए प्रस्तुत किया है।

ये आईआईएमपी रिर्पोट व मानचित्र, अब अंडमान तथा निकोबार (http://andaman.gov.in/) और पर्यावरण एवं वन विभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन (http://forest.and.nic.in/) की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध हैं।

सार्वजिनक समीक्षा, दावे, आपित्तयाँ और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए सॉफ्ट कॉपी विभिन्न कार्यालयों में उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनमें अध्यक्ष कार्यालय, एएनसीजेडएमए (मुख्य सिवव, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन), सदस्य सिवव का कार्यालय, एएनसीजेडएमए [एपीसीसीएफ (सीआरजेड एंड एफसी)] वन सदन, हेडो, उपायुक्त (दक्षिण अंडमान), उपायुक्त (उत्तर एवं मध्य अंडमान), उपायुक्त (निकोबार), सहायक आयुक्त (मायाबंदर), सहायक आयुक्त (रंगत), सहायक आयुक्त (डिग्लीपुर), सहायक आयुक्त (कैम्बल बे), प्रभागीय वन अधिकारी (दक्षिण अंडमान), प्रभागीय वन अधिकारी (निकोबार), प्रभागीय वन अधिकारी (मायाबंदर), प्रभागीय वन अधिकारी (मध्य अंडमान), प्रभागीय वन अधिकारी (मायाबंदर—WL), ट्राइबल कॉसिल (कर्मोटा, थेरेसा, कैम्बल बे, चौवरा) , सदस्य सिवव (प्रदूषण नियंत्रण सिति), निदेशक (आदिवासी कल्याण), निदेशक (पर्यटन), के कार्यालय शामिल हैं। ।

इस संबंध में, संबंधित हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी टिप्पणियाँ, सुझाव और मौजूदा या प्रस्तावित परियोजनाओं का विवरण, साथ ही 10 साल की समय सीमा के भीतर वर्तमान और भविष्य के विकास के लिए मास्टर प्लान, यदि कोई हो, को भू—संदर्भित शेपफाइल्स में (आर्कजीआईएस/शेप फाइल/केएमएल प्रारूप) प्रेस विज्ञप्ति के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर एपीसीसीएफ (सीआरजेड एंड एफसी), वन सदन, हैडो, श्री विजय पुरम के कार्यालय में या apccf-crzfc.an@and.nic.in or apccf.crzfc@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत करें।

सुझाव और टिप्पणियाँ प्रस्तुत करते समय, हितधारक कृपया ऊपर उल्लेखित वेबसाइटों पर उपलब्ध आईसीआरजेड अधिसूचना, 2019 के प्रावधानों को देख सकते हैं।

सदस्य सचिव, अंडमास्पर्यथा मिकोबार सीजेडएमए

वन सदन, श्री विजय पुरम F·No.Arccf(EDA/357/East 3xlond/vx -I/604

Dated: 30th Oct, 2024